न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 01/2022
पंजीयन दिनांक 03.01.2022

(1). सजनी बाई पत्नि जमनालाल जाति मीणा निवासी मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

(1). बंशीलाल पिता पेमा जाति मीणा निवासी मीणों का कंथारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
(2). अम्बालाल पिता रामलाल जाति मीणा निवासी पाटनिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
(3). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अतंर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 79/2018 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.08.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1). राकेशपुरी गोस्वामी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित
(3). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा मीणो का कंथारिया पटवार हल्का जालमपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 455, 456, 457, 459, 528, 529, 530, 531, 534, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 595, 603मी., 741/859, 748, 751, 761 किता 21 कुल रकबा 9.30 हैक्टेयर स्थित है। वादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त वर्णित विवादित कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात का बंटवाड़ा किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मध्य हक हिस्सेनुसार विधिक रुप से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की ।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात तहसीलदार चित्तौड़गढ द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव, से पक्षकारान को सन्तुष्ट होना बताकर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दिनांक 12.08.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 न्यायालय हाजा में म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, व अपील वास्ते अंतिम बहस नियत की गयी।

अपीलाट प्रार्थीया ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं होने से धारा 96 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज है, जानबूझकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट प्रार्थीया को पक्षकार कायम नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री अपीलांट का हित प्रभावित होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करायी जावे।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम पेश किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मे यह तथ्य अंकित किये कि अपीलांट द्वारा दौराने वाद आराजी संख्या 542, 543, 544 कुल किता 3 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी से 66/182 हिस्सा क्रय किया एवं अपीलांट द्वारा क्रय की गई आराजीयात का नामान्तरकरण भी दिनांक 23.06.2020 को नामान्तरण संख्या 1101 के द्वारा खोला जा चुका है फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा आपसी मिलीभगती से विभाजन प्रस्ताव अनुसार दिनांक 12.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय से अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली जिसमें अपीलांट का कोई हिस्सा दर्ज नहीं किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

साथ ही यह भी तथ्य अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं करके रेस्पोडेन्ट ने समस्त आराजीयात को 1/2, 1/2 हक हिस्से से विभाजित करा लिया एवं अपीलांट को अपने हिस्से से वंचित कर दिया। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि अपीलांट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व ही अपीलांट का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज हो चुका था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा जानकारी में होते हुए भी अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया जिससे अपीलांट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.08.2021 से प्रभावित हुई है । अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.08.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा आराजी संख्या 542, 543, 544, कुल किता 03 कुल रकबा 1.82 वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 23.06.2020 से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज रेकॉर्ड होने के उपरांत भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांट को उसके हक हिस्से से वंचित रखने के प्रयोजन से रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार कायम नही किया गया। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2021 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की सहमती दी।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 66/182 हक व हिस्से की अभिलिखित खातेदार है जो कि जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के अवलोकन से स्पष्ट है । उक्त कयशुदा हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.08.2021 से पूर्व अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड होने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री में अपीलांट को उसके कयशुदा हक हिस्से वंचित रखा गया । अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2021 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2021 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार कायम किया जाकर, गुणावगुण पर अजसरे तनकीदार नवनिर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)